निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 522) पटना, वृहस्पतिवार, 21 मई 2026

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

20 मई 2026

सं० सं0का01/वि0मं0 (सत्र)–01–01/2026–**531**—बिहार राज्यपाल का दिनांक–**18.05.2026** का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

''भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2026 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक–18.05.2026

ले ज सैयद अता हसनैन
राज्यपाल, बिहार।''

राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

---

20 मई 2026

सं० सं0का01/वि0मं0 (सत्र)–01–01/2026–**532**, अधिसूचना संख्या–531 दिनांक–20.05.2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

The 20th May 2026

No: -P.A.1/V.M.(Session)-01-01/2026-**531**—The following order of the Governor of Bihar dated the **18.05.2026** is hereby published for general information: -

"In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Assembly after Completion of the business of the House on 24th April, 2026.

Patna,
Dated-18.05.2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain
Governor of Bihar."

Rajesh Kumar,
Additional Secy. to Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 522-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in